

आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर

दिनांक : 16.04.2024

समय : 0705

<><><><><><><>

- लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए दो दिन शेष रह गए हैं—प्रचार अभियान जोरों पर।
- भारतीय जनता पार्टी ने स्थानीय स्तर पर संकल्प पत्र जारी किया—संकल्प पत्र में बिजली, पानी, सड़क के साथ द्वीपवासियों की आशा और आकांक्षाओं का ध्यान रखा गया है।
- आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में यू-ट्यूब चैनलों और वॉट्सऐप ग्रुप के एडमिन को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है।
- उन्नीस अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए मतदाताओं के लिए परामर्श जारी किया गया है।
- द्वीपों में नवरात्रि का पर्व श्रद्धाभाव और भक्तिभाव के साथ मनाया जा रहा है।

<><><><><><><>

लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए दो दिन शेष रह गए हैं। सभी दलों के नेता पूरे जोर-शोर के साथ प्रचार अभियान में जुट गए हैं। द्वीपसमूह की एकमात्र लोकसभा सीट के लिए इस बार के चुनाव में बारह उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। उम्मीदवारों द्वारा जन सभाएं, नुक्कड़ सभाएं और घर-घर जाकर प्रचार अभियान किया जा रहा है। मतदान उन्नीस अप्रैल को सुबह सात बजे आरंभ होगा, इसके लिए पूरे द्वीपसमूह में चार सौ बारह मतदान केन्द्र बनाए गए हैं।

<><><><><><><>

प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से कल आगामी लोकसभा चुनाव के लिए संकल्प पत्र जारी किया गया। पोर्ट ब्लेयर में मीडिया के समक्ष संकल्प पत्र जारी करते हुए भाजपा के उम्मीदवार बिष्णु पद रे ने कहा कि ये संकल्प पत्र सिर्फ चुनावी वादा नहीं है, बल्कि जनता की उम्मीदों और आकांक्षाओं का संकल्प पत्र है और इसी संकल्प पत्र के आधार पर पार्टी द्वीपवासियों

के लिए काम करती रहेगी। उन्होंने कहा कि द्वीपवासियों को नियमित रूप से जलापूर्ति हो, इसके लिए जल प्रबंधन पर मास्टर प्लान बनाया जाएगा और जरूरत पड़े, तो धन्नी खाड़ी बांध के विकल्प के रूप में गुप्तापाड़ा नाला बांध को पुनः शुरू किया जाएगा। चौबीसों घंटे पूरे द्वीपो में बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी और बिजली की दरों को भी तर्कसंगत बनाया जाएगा। भू-राजस्व से जुड़े मुश्किलों को हल किया जाएगा, ताकि द्वीपवासियों के जीवन को सुगम बनाया जा सके। चाथम-बम्बूफ्लाट पुल के अलावा द्वीपसमूह में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने और बेरोजगारों के हितों का संरक्षण करने के लिए काम किया जाएगा। सभी तहसीलों में आधुनिक मार्केट ढांचों का निर्माण होगा। कोपरा के एमएसपी के मामलों का समाधान किया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना में सुधार करते हुए इसमें अंतरद्वीपीय और मुख्यभूमि की यात्रा के दौरान आने वाले खर्च को शामिल किया जाएगा। हवाई किराए को तर्कसंगत बनाया जाएगा। छूट गए विस्थापितों को ओ बी सी की श्रेणी में लाने का प्रयास किया जाएगा।

वृद्धजनों को मिलने वाले पेंशन की राशि में वृद्धि करने का प्रयास किया जाएगा। खेलों को बढ़ावा देने के लिए इस पर विशेष ज़ोर रहेगा। आदिवासी क्षेत्र में बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत जरूरतों को पूरा किया जाएगा। संकल्प पत्र में तीनों जिले में रहने वाले लोगों के सर्वांगीण विकास और कल्याण के लिए कई वादे किए गए हैं। इस अवसर पर संकल्प पत्र प्रबंधन समिति के डॉ. आर. देवदास, गिरीश अरोड़ा, आर. मूर्ति और संजय बालन ने भी मीडिया के सवालों का जवाब दिया।



द्वीपसमूह में आदर्श आचार संहिता सोलह मार्च से लागू होने के बाद से कुछ यू-ट्यूब चैनलों और वाट्सऐप ग्रुप द्वारा इसके दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के संबंध में शिकायतें मिली हैं। चुनाव अधिकारी की ओर से इस पर सख्त कार्रवाई करते हुए यू-ट्यूब चैनल और वाट्सऐप ग्रुप के एडमिन को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है। चुनाव अधिकारी कार्यालय द्वारा जारी विज्ञप्ति में चुनाव अधिकारी ने सभी यू-ट्यूबर्स और सोशल मीडिया ग्रुप के एडमिन को चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालने करने का निर्देश

दिया है। उन्होंने कहा कि एम सी सी का उल्लंघन करने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।



उन्नीस अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए मतदाताओं के लिए भी परामर्श जारी किया गया है। भारतीय चुनाव आयोग की ओर से जारी सख्त निर्देश में कहा गया है कि मतदान केन्द्र के भीतर मोबाइल फोन, वायरलेस फोन सेट की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा मतदान केन्द्र के सौ मीटर की परिधि में भी इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा, ताकि मतदान प्रक्रिया की गोपनीयता को बनाए रखा जा सके। द्वीपसमूह के सभी मतदाताओं से अपील की गई है कि वे निर्देश का पालन करें। उन्नीस अप्रैल को सुबह सात बजे से शाम छः बजे के बीच मतदान कराया जाएगा। मतदान समाप्त होने तक के समय तक पंक्ति में खड़े मतदाताओं को वोट डालने दिया जाएगा। महिलाओं के लिए अलग पंक्ति होगी। वरिष्ठ नागरिकों को मतदान में प्राथमिकता दी जाएगी। नेत्रहीन और दुर्बल मतदाता अपने साथ एक प्रौढ़ साथी को मतदान क्षेत्र में अपने मतदान की रिकॉर्डिंग कराने के लिए साथ ले जा सकते हैं। उम्मीदवारों द्वारा किसी भी मतदाता को पैसे या अन्य उपहार देने को कानून के तहत भ्रष्ट श्रेणी में रखा गया है। पहचान के लिए मतदाता, फोटो मतदाता पहचान पत्र या आयोग की ओर से प्रमाणित वैकल्पिक बारह दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज साथ रख सकते हैं।



द्वीपों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बी एस जगलान ने मतदाता सूची में नाम शामिल करने को लेकर विभिन्न प्लेटफार्मों पर चल रही भ्रामक खबरों पर आम जनता को आगाह किया है। उन्होंने बताया कि आम चुनाव दो हजार चौबीस के लिए अंतिम मतदाता सूची को अंतिम रूप दे दिया गया है और इसे इस वर्ष सत्ताईस मार्च को प्रकाशित भी कर दिया गया है। इसके बाद अब छः जून तक यानी चुनाव अवधि तक कोई भी नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। हालांकि अट्ठारह वर्ष से अधिक उम्र के पात्र मतदाता, मतदाता सूची में अपने नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन उनके आवेदन को छः जून के बाद ही स्वीकार किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आम जनता से अनुरोध किया है कि वे इस तरह के भ्रामक खबरों पर ध्यान न दें। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इस वर्ष सत्ताईस मार्च को

प्रकाशित मतदाता सूची के अनुसार इस आम चुनाव में तीन लाख पन्द्रह हजार एक सौ अड़तालीस मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल हैं। इनमें एक लाख चौंसठ हजार बारह पुरुष और एक लाख इक्यावन हजार एक सौ बत्तीस महिला मतदाता हैं। चार ट्रांसजेन्डर भी हैं। लिंग अनुपात में भी सुधार हुआ है, जो पिछले चुनाव में आठ सौ छियासी के मुकाबले इस बार नौ सौ इक्कीस है। इसका मतलब महिला मतदाताओं की संख्या में वृद्धि हुई है।

श्री जगलान ने बताया कि अट्ठारह से उन्नीस वर्ष आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या पांच हजार तीन नौ उन्नीस है, जबकि बीस से उनतीस वर्ष आयु वर्ग के पैंसठ हजार सात सौ छः मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में है। तीस से उन्चासी वर्ष के दो लाख इकतालीस हजार तीन सौ बत्तीस और पचासी वर्ष से अधिक के एक हजार सैंतीस तथा दो हजार चार सौ बाईस दिव्यांग मतदाता हैं।



देश के अन्य भागों के साथ अंडमान निकोबार द्वीपसमूह में भी नवरात्रि का पर्व श्रद्धाभाव और भक्तिभाव के साथ मनाया जा रहा है। घरों और मंदिरों में कलश स्थापित कर मां दुर्गा की विभिन्न रूपों की आराधना की जा रही है। आज नवरात्रि का आठवां दिन है और आज माता की महागौरी रूप की आराधना की जा रही है। आज कन्या पूजन भी किया जाएगा।



उप-राज्यपाल एडमिरल डी के जोशी द्वारा अंडमान निकोबार द्वीपसमूह के स्कूलों में गर्मी की छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। दो मई से द्वीपों के सभी सरकारी, निजी सहायता प्राप्त और बिना सहायता प्राप्त स्कूलों में तीस जून तक अवकाश रहेगा। एक जुलाई को सभी स्कूल पुनः खुल जाएंगे। चुनाव ड्यूटी में लगे अधिकारी या शिक्षा विभाग या प्रशासन की ओर से दिए गए कार्यों में तैनात अधिकारियों को अपनी ड्यूटी के लिए स्टेशन में ही रहना होगा। ऐसे सभी अधिकारियों को नियमों के तहत ई.एल मिलेगा।



समाचार पत्रों की सुर्खियां

मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा द्वीपों के लोगों से मतदाता सूची में नाम शामिल करने संबंधी किसी भी फर्जी संदेश पर ध्यान न देने का आग्रह करने के समाचार को— द डेली टेलीग्राम्स ने अपनी बड़ी खबर बनाया है। इसके अलावा अखबार ने द्वीपों के विद्यालयों में ग्रीष्माकलीन अवकाश की घोषणा के समाचार को बॉक्स में प्रकाशित किया है। — द्वीप समाचार ने चुनाव अधिकारी द्वारा उडनदस्तों और निगरानी दल का रात्रि निरीक्षण करने के समाचार को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अग्निशमन सेवा दिवस मनाए जाने की खबर को — इंडो इंडिया ने सचित्र प्रकाशित किया है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर द्वीपसमूह में कई गतिविधियां आयोजित होने और मतदान को सुचारू बनाने के लिए भारतीय चुनाव आयोग की ओर से दिशा—निर्देश जारी किए जाने के समाचार को— द अंडमान एक्सप्रेस अंग्रेजी ने प्रथम पृष्ठ में जगह दी है। मतदान की समाप्ति से अड़तालीस घंटे पूर्व दक्षिण अंडमान ज़िले में धारा एक सौ चव्वालीस लगाए जाने और इस आदेश को सीमित किए जाने के समाचार को—अंडमान कोनिकल ने अपनी बड़ी खबर बनाया है। शहीद द्वीप के जंगलों से सात दिन से लापता पर्यटक की खोज किए जाने के समाचार को— द इको ऑफ इंडिया ने पहले पन्ने के निचले भाग में जगह दी है।

<><><><><><><><>